प्रेस नोट- थाना सदर बाजार
शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 25.07.2026

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की गई ₹4,500/- नकदी सहित स्टेशनरी का सामान एवं 800 राष्ट्रीय ध्वज बरामद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ईवी स्कूटी कब्जे में।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार ,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 24.07.2026 को थाना सदर बाजार पर वादी हर्षित ग्रोवर पुत्र प्रवीन ग्रोवर निवासी रामनगर कलोनी थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर द्वारा अपने घर से 1 लाख 80 हजार रूपये Cash व घर मे रखा दुकान का सामान आयुष पुत्र नामालूम निवासी तुलसी कालोनी थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर व अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 380/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लक्ष्मणचन्द के सुपुर्द की गयी थी ।

आज दिनांक 25.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों की घटना कारित करने वाले नामित अभियुक्त 01. आयुष पुत्र प्रदीप निवासी तुलसी कॉलोनी बाड़ूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर प्रकाश मे आये अभियुक्त 02. फैजान पुत्र इस्लाम निवासी मो0 बाडूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर 03. करन राठौर पुत्र मनोज राठौर निवासी बाडूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 12.53 बजे लक्ष्मीनारायन मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के पास तिराहे पर कुँए के पास से गिरफ्तार किया गया मु0अ0सं0 380/26 धारा 305 बीएनएस मे चोरी गये सामान मे से 4500/- रूपये, बसन्त कम्पनी की 87 कॉपियां व डीलक्स कम्पनी की 18 कॉपियां, बसन्त कम्पनी की 29 छोटी कॉपी, प्लास्टिक के 40 रोल तथा शिवा कम्पनी के खाकी 22 रोल व पूजा कम्पनी के 10 रोल तथा 80 पैकेट राष्ट्रीय ध्वज छोटे प्रत्येक पैकेट में 10 राष्ट्रीय ध्वज कुल 800 राष्ट्रीय ध्वज बरामद हुए। जरिये उचित माध्यम मुकदमा उपरोक्त के वादी हर्षित ग्रोवर को मौके पर बुलाकर बारमद माल दिखाया गया तो पहचान कर बताया कि चोरी गये सामान मे से बरामद सामान है। चोरी गये सामान की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 380/26 धारा 305 बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की घटना मे मोटर साइकिल UP27BH5427 स्प्लेण्डर काला रंग व स्कूटी ईवी सैफ्रन चैसिस नं0- R6VA00300SL105912 (इलैक्ट्रोनिक) का उपयोग चोरी करने व चोरी का माल बेचने मे प्रयोग करने के कारण कब्जा पुलिस में लेकर मोटरसाइकिल उपरोक्त को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. आयुष पुत्र प्रदीप निवासी तुलसी कॉलोनी बाडूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र 21 वर्ष।
2. फैजान पुत्र इस्लाम निवासी मो0 बाडूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 23 वर्ष।
3. करन राठौर पुत्र मनोज राठौर निवासी बाडूजई प्रथम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

दिनांक 25.07.2026 को समय करीब 12.53 बजे लक्ष्मीनारायन मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के पास तिराहे पर कुँए के पास से

बरामदगी:-

1. ₹4,500/- (चार हजार पाँच सौ रुपये) नकद।
2. बसंत कम्पनी की 87 कॉपियाँ।
3. डीलक्स कम्पनी की 18 कॉपियाँ।
4. बसंत कम्पनी की 29 छोटी कॉपियाँ।
5. प्लास्टिक के 40 रोल।
6. शिवा कम्पनी के खाकी रंग के 22 रोल।
7. पूजा कम्पनी के 10 रोल।
8. राष्ट्रीय ध्वज के 80 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में 10 छोटे राष्ट्रीय ध्वज), कुल 800 छोटे राष्ट्रीय ध्वज।

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त :-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने यह स्टेशनरी का सामान प्रवीन पुस्तक भंडार के गोदाम, मोहल्ला रामनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर से चोरी किया था। अभियुक्त आयुष पुत्र प्रदीप ने बताया कि वह पूर्व में प्रवीन पुस्तक भंडार के स्वामी हर्षित ग्रोवर की दुकान पर कार्य कर चुका था, जिसके कारण उसे गोदाम एवं वहाँ रखे सामान तथा नकदी के संबंध में पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का लाभ उठाते हुए उसने अपने साथियों फैजान एवं करन राठौर के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। अभियुक्तगण ने बताया कि चोरी किए गए स्टेशनरी के सामान को वे समय-समय पर राह चलते कबाड़ियों को बेच देते थे। लगभग 20 दिन पूर्व उन्होंने हर्षित ग्रोवर की अलमारी में रखे ₹1,80,000 नकद भी चोरी किए थे, जिसमें से अभियुक्त आयुष ने ₹15,000-₹15,000 अपने साथी फैजान एवं करन राठौर को दिए थे तथा शेष धनराशि स्वयं अपने पास रख ली थी। अभियुक्त आयुष ने बताया कि शेष धनराशि उसने सट्टा, जुआ एवं अपने व्यक्तिगत खर्चों में व्यय कर दी। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नकदी उक्त चोरी की धनराशि का शेष भाग है। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि चोरी किए गए सामान को ले जाने एवं बेचने के लिए वे मोटरसाइकिल संख्या UP27BH5427 तथा ईवी स्कूटी SAFFRON (चेसिस संख्या R6VA00300SL105912) का प्रयोग करते थे। आज भी वे चोरी का सामान बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 लक्ष्मण चन्द थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2686 मनीष कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2070 मोनू कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।